वृद्ध कल्याण योजनाएं

ग्राविस

वृद्ध कल्याण योजनाएं

संस्करण : मार्च 2005

तकनीकी सहयोग
हैडकॉन
हैल्थ, एन्वायरनमैंट एण्ड डवलपमेन्ट कन्सोर्टियम
67/145, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर–303906 (राज.)
फोनः 0141–2790800, फैक्सः 0141–2792994
ई–मेलः hedcon@datainfosys.net

प्रकाशक
ग्राविस
ग्रामीण विकास विज्ञान समिति
3/458, मिल्कमैन कॉलोनी, पाल रोड, जोधपुर–342008 (राज.)
फोनः 0291–2785317, फैक्सः 0291–2785549
वेबसाईटः www.gravis.org.in,
ई–मेलः gravis@datainfosys.net

संपादक: शशि त्यागी

यूरोपियन यूनियन व हैल्पेज इन्टरनेशनल (यू.के.) के आर्थिक सहयोग से अडोप्ट परियोजना के अन्तर्गत प्रकाशित

ISBN 978-81-977042-9-1

प्राक्कथन

वृद्धत्व जीवन की अनिवार्य परिणति है। जहाँ जीवन है उसका परिपाक वृद्धता है। भारतीय सभ्यता में अपने अतीत से मोह रखने और उसकी यादों के सहारे भविष्य का ताना-बाना बुनने की परम्परा रही है। इसीलिए सहज रुप से अपने बुजुर्गों के साथ आत्मीय सम्बन्ध रखने की परम्परा भी यहाँ विकसित हुई है। हमारी सभ्यता के विकास व विस्तार में बुजुर्गों की मौजूदगी और उनके परिवार का अविभाज्य हिस्सा होने की व्यवस्था साफ-तौर पर बनती दिखती है। परन्तु अब इस परम्परा में बदलाव आ रहा है, उपभोक्तावाद के विकास, शहरों की तेज रफ्तार, व्यक्तियों में निजता की चाहत, आर्थिक तनाव और जीवन को बेहतर बनाने की होड़ में खुद को खपा देने वाले युवाओं की बढ़ती तादात ने हालातों को बदला है। इससे न सिर्फ बुजुर्गों की मौजूदगी को नजर अन्दाज करने और एक हद तक उन्हें अपने विकास और निजता के बीच बाधा मानने की सोच विकसित हुई है। उक्त सोच ने वृद्धों के जीवन में एकाकीपन और आर्थिक असुरक्षा को जीवन्त किया है।

जनतांत्रिक शासन व्यवस्था के तहत सरकार एवं अन्य विभागों द्वारा वृद्धों के कल्याण हेतु योजनाएं बनाई हुई है। परन्तु देखने में आया है कि अनेक पात्र वृद्ध इन वृद्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी के अभाव में इनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह पुस्तिका तैयार की गई है ताकि वे इन योजनाओं का पर्याप्त लाभ ले सकें।

हम हैल्पेज इंटरनेशनल व यूरोपियन यूनियन के आभारी है जिनके सहयोग से इस पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है। योजनाओं के संकलन एवं एकजाई करने के लिए एवं योजनाबद्ध तरीके से प्रकाशित करवाने के लिए हम हैडकॉन संस्था से जुड़े साथियों को धन्यवाद देते हैं।

शशि त्यागी
सचिव, ग्राविस

अनुक्रमणिका

विवरण	पृष्ठ संख्या
वरिष्ठ नागरिकों हेतु सरकार की नीतियाँ	1–2
वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय नीति	3–4
1.पेंशन योजनाएं	5–7
1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	
2. वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना	
3. निःशक्त व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना	
2. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं	8–12
1. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना	
2. मेडिकल रिलीफ कार्ड योजना	
3. मुख्यमंत्री सहायता कोष योजना (चिकित्सा हेतु सहायता)	
3. प्राकृतिक आपदा एवं दुर्घटना में सहायता योजनाएं	13–18
1. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	
2. तोषण निधि योजना	
3. असहाय सहायता	
4. क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार हेतु सहायता	
5. पशु हानि होने पर सहायता योजना	
6. अग्निकाण्ड में देय सहायता	
7. कृषक साथी योजना	
4. वरिष्ठ नागरिकों हेतु बचत योजना	19
5. बीमा योजनाएँ	20–23
1. नव जीवन धारा	
2. जीवन अक्षय	
3. नव जीवन सुरक्षा	
4. बीमा निवेश	
5. वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान	
6. चिकित्सा बीमा योजना	
7. समूह चिकित्सा बीमा योजना	
8. जन आरोग्य बीमा पॉलिसी	
9. बीमा प्लस	
10.नई जन रक्षा पॉलिसी	
6. अन्य योजनाएं	24–27
1. विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर अनुदान	
2. मुफ्त कानूनी सहायता योजना	
3. अन्नपूर्णा योजना	
4. अन्त्योदय अन्न योजना	
5. अत्यन्त निर्धन परिस्थितियों वाले अग्रगण्य संस्कृत पंडितों को आर्थिक सहायता	
7. आवास योजनाएं	28–29
1. राजस्थान वृद्ध और निःशक्त व्यक्तियों के लिए देखभाल केन्द्र व्यवस्था एवं संचालन योजना	
2. वृद्ध और निःशक्त व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रम व्यवस्था एवं संचालन योजना	

वरिष्ठ नागरिकों हेतु सरकार की नीतियाँ

जनसंख्या की दृष्टि से

वर्ष 1991 की जनगणना के आँकड़ों में साठ वर्ष एवं अधिक आयु के नागरिकों की संख्या 5.5 करोड़ दर्ज है। यह कुल जनसंख्या का 6.5 प्रतिशत है। एक अनुमान के अनुसार 1991–2001 के दशक में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में वृद्धि की दर 38.4 प्रतिशत आंकी गई है जबकि 0–14 वर्ष आयु वर्ग में यह केवल 6.7 प्रतिशत है। इन आँकड़ों के अनुसार जनसंख्या पिरामिड में वरिष्ठ नागरिकों का स्थान महत्वपूर्ण रूप से बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठजनों की जनसंख्या शहरी क्षेत्रों से चार गुणा अधिक है।

वित्तीय स्थिति की दृष्टि से

एक अनुमान के अनुसार वर्ष 1992 में देश की कुल गरीब जनसंख्या के 6 प्रतिशत व्यक्ति साठ वर्ष से अधिक आयु के थे। यद्यपि भारत में वरिष्ठजनों की आय के कोई विशिष्ठ अधिकृत आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु यह निश्चित है कि यहाँ लाखों वरिष्ठ नागरिक गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। भारतीय जनगणना के आँकड़ों में आय के वित्तीय स्रोतों के अतिरिक्त निरक्षरता, रोजगार, पराधीनता जीवन–निर्वाह एवं स्वास्थ्य समस्याओं को भी ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय स्थिति का आकलन किया गया है।

निरक्षरता

यद्यपि पिछले कुछ वर्षों के दौरान पुरुष एवं महिला साक्षरता में वृद्धि हुई है परन्तु यह तथ्य निराशाजनक है कि अधिकांश ग्रामीण वरिष्ठजन निरक्षर हैं। वरिष्ठ महिला साक्षरों की संख्या तो बहुत ही कम है। सरकार के विभिन्न साक्षरता कार्यक्रमों द्वारा अनेक जिलों में शत–प्रतिशत साक्षरता का दावा होने के उपरान्त भी इनकी स्थिति में सुधार के कोई सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

रोजगार

सरकारी आंकड़ों के अनुसार रोजगार युक्त वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में निरन्तर कमी होती जा रही है, चाहे वह नवीन तकनीकों अथवा कठिन प्रणालियों या फिर कठिन परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता में कमी के कारण ही क्यों ना हो। इस स्थिति के साथ–साथ अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत वरिष्ठ ग्रामीणों हेतु किसी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का अभाव इन्हें आर्थिक पराधीनता की ओर धकेल रहा हैं।

निर्भरता / पराधीनता

वरिष्ठजनों अथवा परिवार के वृद्ध मुखिया की आय का अनुमान लगाना कठिन कार्य है। इसका कोई सांख्य उपलब्ध नहीं है। व्यक्ति आय से अधिक व्यय के कारण सदैव पराधीन रहा है, यद्यपि विभिन्न वर्गों हेतु पराधीनता की सीमा में अन्तर हो सकता है। अधिकांशतः ग्रामीण एवं शहरी वृद्धजन दोनों ही आर्थिक रूप से पूर्णतः पराश्रित होते हैं परन्तु गाँवों में इसकी दर शहरों की अपेक्षा कुछ कम पायी गयी है। यह शायद इस कारण है कि गाँवों में वरिष्ठजनों की व्यावसायिक एवं पारिवारिक भूमिकाओं में निरंतरता बनी रहती है। व्यक्ति तब तक कार्य से आय अर्जित करता रहता है जब तक वह शारीरिक रुप से अक्षम ना हो जाए।

स्वास्थ्य समस्याएँ एवं शारीरिक अशक्तता

आयु में वृद्धि के साथ–साथ शारीरिक क्षमताएँ क्षीण होने लगती हैं तथा इस कारण विभिन्न प्रकार के जटिल रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सामान्यतः वृद्धजन उच्च रक्त चाप, हृदय रोग एवं मूत्र विकारों से ग्रस्त रहते हैं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोग ग्रस्त एवं शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्तियों की संख्या में कुछ अन्तर पाया गया है। स्त्रियों एवं पुरुषों में भी यह अन्तर स्पष्ट है।

वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय नीति

वृद्धजनों की उपरोक्त स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जनवरी 1999 में एक राष्ट्रीय नीति घोषित की गई। इसके अन्तर्गत विभिन्न सरकारी एजेंसियों के मध्य तथा सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियों के मध्यान्तर क्षेत्रीय सहयोग की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस नीति के माध्यम से वृद्धजनों के कल्याण की दृष्टि से मुख्यतः निम्न मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया गया है।

- वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, आवास, शिक्षा, जीवन एवं सम्पति की रक्षा आदि।
- इस क्षेत्र में सरकारी प्रयासों की सहायतार्थ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सुलभ सेवाएँ प्रदान किये जाने की आवश्यकता को महत्व दिया गया है।
- वृद्धजनों को अत्यावश्यक एवं वास्तविक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में पारिवारिक योगदान को महत्वपूर्ण माना गया है।
- नीति के क्रियान्वयन को सुलभ बनाने हेतु पंचायती राज संस्थाओं, राज्य सरकारों एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों की सहभागिता तथा सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा समन्वयन की अपेक्षा की गयी है।

वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय समिति

वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयन हेतु सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय समिति (NCOP) का गठन किया गया जिसमें 39 सदस्य हैं।

वृद्धावस्था एवं सुरक्षित आय

मंत्रालय द्वारा वृद्धावस्था में सामाजिक एवं वित्तीय सुरक्षा हेतु **'ओएसिस'** परियोजना आरम्भ की गई। इसकी विशेषज्ञ समिति की प्रथम रिपोर्ट तथा

वृद्धाजनों को उपलब्ध आय सुरक्षा के साधनों की व्यापक जाँच की गई। इस रिपोर्ट में सहायता राशि में वृद्धि करने, प्रतिफलों की दर में सुधार करने तथा लोक भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि, जीवन बीमा निगम एवं यू.टी.आई. की वार्षिक योजनाओं द्वारा उपभोक्ता सेवाओं की गुणात्मकता में सुधार हेतु परामर्श दिया गया है। इस परामर्श के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा भविष्य की कार्य योजना बनेगी। इस परियोजना का दूसरा चरण केन्द्रीय सरकार की पेन्शन एवं ग्रेच्युटी योजनाओं तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम **(NSAP)** के द्वारा प्रदत्त वृद्धावस्था पेन्शन से सम्बद्ध है। इसके अन्तर्गत अनियमित/अनुबंधित एवं स्व–नियोजित कर्मचारियों तथा कृषकों जैसे असंगठित क्षेत्र हेतु नवीन, पूर्ण वित्तीय सहायता युक्त एवं अंशदायी पेन्शन योजना का निर्माण किया जाएगा।

मंत्रालय की योजनाओ में संशोधन

राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने तथा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम में गुणात्मक सुधार हेतु 1998–99 में उपरोक्त दोनों योजनाओं में संशोधन किया गया। इसके अन्तर्गत प्रस्तावित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु जन चेतना जागृत करना, वृद्धजनों के जीवन को उपयोगी बनाने एवं उनकी आवश्यकतानुसार सहायता करने में प्रशासन, गैर सरकारी संस्थाओं एवं समाज की क्षमता निर्माण करना, वृद्धजनों के प्रति बच्चों एवं युवाओं को संवेदनशील बनाना, वृद्धो का विशेष रूप से ध्यान रखने की पारिवारिक परम्परा को प्रोत्साहित करना तथा वृद्धजनों को स्वयं सहायता समूहों के निर्माण हेतु संगठित करना ताकि वे अपने हितों एवं अधिकारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकें आदि को अतिआवश्यक माना गया है। इस हेतु गैर सरकारी संस्थाओं को, पुनर्वास केन्द्रों, डे–केयर केन्द्रों, चल–चिकित्सा इकाइयों का रख–रखाव करने एवं वृद्धजनों को गैर–सांस्थानिक सेवाएँ प्रदान करने के लिये परियोजना लागत की 90 प्रतिशत राशि दी जाती है।

1.पेंशन योजनाएं

1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों एवं शर्तों के अनुसार पात्र परिवारों अथवा व्यक्तियों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिये निम्न मानदण्ड है :

- आवेदक की आयु (पुरुष अथवा महिला) 65 वर्ष या उससे अधिक हो।
- आवेदक दीन–हीन हो, अर्थात् उसकी अपनी आय तथा परिवार अथवा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त होने वाली आय 1500 रूपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उक्त श्रेणी में अकेली रहने वाली महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग एवं भूमिहीन कृषक मजदूरों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- यदि पति एवं पत्नी दोनों अलग–अलग इसके पात्र है तो वृद्धावस्था पेंशन दोनों को ही देने का प्रावधान है।

देय पेंशन

पचहत्तर रूपये (75/–) प्रतिमाह।

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये लाभार्थी प्रपत्र भर कर ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समिति तथा शहरों में नगरपालिका या नगर निगम में आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।

उत्तरदायी विभाग

समाज कल्याण विभाग।

2. वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना

इसका लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक है कि :–

- निराश्रित वृद्ध पुरुष 58 तथा महिला 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की हो।
- प्रार्थी राजस्थान का निवासी हो तथा आवेदन तिथि से तीन वर्ष पूर्व से राजस्थान में रह रहा हो।

- प्रार्थी का अपने जींवनयापन के लिये आय का कोई स्थाई स्रोत न हो।
- परिवार में 20 वर्ष या उससे अधिक आयु का वयस्क कमाऊ सदस्य नहीं हो या परिवार के सदस्य पुरुष 58 वर्ष से अधिक या महिला 55 वर्ष से अधिक उम्र के हो अथवा शारीरिक/मानसिक अक्षमता के कारण आय अर्जित करने में अक्षम हों अथवा परिवार के सदस्य 7 वर्ष या अधिक समय से लापता हों और उनके लापता होने के बारे में स्वीकृति अधिकारी को संतोष हो जाए।
- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित गरीबी रेखा से नीचे के परिवार का ऐसा सदस्य जिसकी आयु 70 वर्ष से अधिक हो, इस योजना के अन्तर्गत निराश्रित माना जाएगा।

स्वीकृति अधिकारी

ग्रामीण क्षेत्रों में– विकास अधिकारी।

शहरी क्षेत्रों में– उपखण्ड अधिकारी।

प्रार्थना पत्र

पंचायत समिति, उपखण्ड अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। भरे हुए आवेदन पत्र संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी या संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत किये जावें। राज्य सरकार सभी पात्र निराश्रितों को लाभान्वित करने हेतु चिन्हित कर पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही करती है।

पेंशन राशि

55 वर्ष से अधिक आयु वाली निराश्रित महिला तथा 65 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित पुरुष को 200 रूपये प्रति माह पेंशन देय है। 58 वर्ष से 65 वर्ष की आयु के पुरुष को 100 रूपये प्रति माह मिलता है। जहाँ पति–पत्नी दोनों उपरोक्त परिभाषा के अनुसार निराश्रित हों उन्हें संयुक्त रूप से 300 रूपये मासिक तथा विधवाओं को 200 रूपये मासिक पेंशन देय है।

उत्तरदायी विभाग

समाज कल्याण विभाग राजस्थान, जयपुर।

3. नि:शक्त व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना

पात्रता

- प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो और स्थाई रुप से राजस्थान में निवास करता हो।
- व्यक्ति निःशक्त होने के कारण अपनी आजीविका कमाने में सक्षम न हो।
- उसके पास जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं हो (20 रूपये मासिक तक पेंशन, को इन नियमों के अन्तर्गत कोई साधन नहीं होना माना जाएगा)।
- यदि ऐसे व्यक्ति के परिवार में पुत्र, पौत्र, पति, पत्नी, पिता, माता, भ्राता, पितामह में से एक या अधिक संबंधी 20 वर्ष या अधिक आयु के हों, जो स्वयं आजीविका कमाने योग्य हो तो वह व्यक्ति पेंशन पाने का अधिकारी नहीं होगा।

पेंशन राशि

पेंशन की दर 200 रूपये प्रतिमाह है। यदि ऐसा व्यक्ति पहले से राज्य/केन्द्र सरकार या किसी निजी संस्था से 200 रूपये से कम पेंशन या जीविका भत्ता प्राप्त कर रहा हो तो शेष राशि इन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत की जाती है।

सम्पर्क अधिकारी

तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी, पंचायत समिति/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

प्रार्थना–पत्र

प्रार्थना–पत्र, निर्धारित फार्म (जो तहसील, पंचायत समिति, नगरपालिका, समाज कल्याण कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) पर संबंधित तहसीलदार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

क्षेत्र

यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान के लिए लागू है।

उत्तरदायी विभाग

समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

2. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

1. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना

पात्रता

ग्रामों एवं शहरों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्ति पात्र होंगे।

देय लाभ

पात्र गरीब रोगियों को विशिष्ट चिकित्सालयों में अतिविशिष्ट चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना तथा रोगी व उसके एक परिचायक हेतु विश्राम भत्तों की राशि का आवंटन।

देय सहायता

इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को चिकित्सा महाविद्यालय के संबंधित विशिष्टता के विभागाध्यक्ष द्वारा रोग के निदान/उपचार में होने वाले व्यय के अनुमान पर अंकित राशि का शत–प्रतिशत भुगतान मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष समिति की प्रबन्धकारिणी द्वारा किया जायेगा।

निम्न रोगों के उपचार हेतु सहायता उपलब्ध है–

1. हृदय रोग व हृदय शल्य चिकित्सा

- पेसमेकर्स
- डिस्पोजबल फॉर इन्टरनेशनल प्रोसिजर्स जिसमें :–
  - ⇨ टी.एम.टी.
  - ⇨ इकोकार्डियोग्राफी
  - ⇨ एन्जियोप्लास्टी
  - ⇨ एथीरेक्टोमी

सम्मिलित हैं।

- जन्मजात हृदय रोगों की शल्य चिकित्सा
- एक्कायर्ड हृदय रोग
- वेस्कुलर सर्जरी एटन्टस हेतु ग्राफ
- हृदय प्रत्यारोपण

2. कैन्सर
- रेडियेशन उपचार
- एन्टी कैन्सर कीमोथेरेपी

3.गुर्दा व मूत्र रोग
- डायलिसिस तथा इसके काम आने वाले कन्ज्यूमेबिल गुड्स
- डायलिसिर्स हेतु वेस्कुलरशण्ट
- पी.सी.एन.पी.सी.एन.एल. किट्स
- लिथोट्रिप्सी
- एण्डोस्कोपिक सर्जिकल प्रोसिजर हेतु डिस्पोजेबल स्टेन्ट्स
- गुर्दा व लीवर प्रत्यारोपण

4. अस्थि रोग
- आर्टिफिशियल प्रोस्पेसिस फोर लिम्स
- कूल्हे व घुटने के जोड़
- रिप्लेसमेंट हेतु इम्प्लान्ट
- एक्सटर्नल फिक्सेटर
- हड्डियों की बीमारियाँ तथा
- फ्रैक्चर्स में काम आने वाले ए.ओ. इम्प्लान्ट्स

5. थैलेसीमिया
- थैलेसीमिया रोग के उपचार हेतु दवाइयां तथा मैकेनिकल इम्फ्यूजन पम्प
- ब्लड ट्रान्सफ्यूजन
- बोनमेरो प्रत्यारोपण

6. विविध
- इन्ट्रा आक्यूलर लैन्स इम्प्लान्ट
- श्रवण यंत्र
- हाईड्रोसिफेलस हेतु शण्टस

नोटः उपरोक्त रोगों के अलावा अन्य बीमारियाँ जिनको सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा गम्भीर एवं असाध्य रोग प्रमाणित किया जावे।

निम्न जाँचें करायी जा सकती हैं–

- अल्ट्रा साउण्ड
- डॉप्लर राईडर्स
- रेडियो न्यूक्लोपोलाईड स्केन्स
- सी.टी. स्केन
- विभिन्न आर्गन्स की एन्जियोग्राफी
- एम.आर.आई.
- ई.ई.जी.
- ई.एम.जी.
- यूरोडायनेमिक स्टेडीज

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले रोगियों को चिकित्सा सुविधा एवं आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए–

- लाभार्थी अपना आवेदन बी.पी.एल. मेडिकेयर कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा प्रदत्त इलाज पर होने वाले व्यय का मूल तखमीना संलग्न करते हुए विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रस्तुत/प्रेषित करेंगे। कोष की प्रबन्धकारिणी समिति प्रार्थना–पत्र पर विचार कर सम्बन्धित चिकित्सालय के अधीक्षक के नाम स्वीकृति जारी करेगी। बिलों एवं खर्चों का भुगतान चिकित्सालय अधीक्षक को किया जायेगा।
- रोग सम्बन्धी इलाज/निदान की सुविधा चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं होने पर रोगी को राज्य के अन्य चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बन्धित चिकित्सालय में अथवा राज्य के उन निजी चिकित्सालयों में जिन्हें कभी किसी तरह की छूट दी गई थी जैसे– सीमा शुल्क में छूट, रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन इत्यादि में भेजा जा सकेगा। राज्य से बाहर रोग के निदान/उपचार हेतु केवल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ही भेजा जा सकेगा।

उत्तरदायी विभाग

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

2.मेडिकल रिलीफ कार्ड योजना

पात्रता

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से "मेडिकल रिलीफ कार्ड" जारी किये गये हैं।

सुविधाएं

कार्डधारक व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों को जिनके नाम कार्ड में अंकित हैं, राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं जैसे दवाईयाँ, नैदानिक जांच तथा बहिरंग व अन्तःवासी विभाग में सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायेंगी।

प्रक्रिया

ग्रामीण क्षेत्रों में इन पहचान पत्रों की संबंधित पंचायत समिति द्वारा चयनित परिवारों की नवीनतम सूचियों के आधार पर तैयार कर विकास अधिकारी के हस्ताक्षर के पश्चात् ग्राम पंचायत को प्रेषित किया जाता है। सरपंच, ग्राम पंचायत इन कार्डों पर हस्ताक्षर कर संबंधित परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी इन पहचान पत्रों पर लगवाते हैं। इन कार्डों का वितरण ग्राम पंचायतों में संबंधित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।

शहरी क्षेत्रों में यह कार्य नगरपालिकाओं/नगर परिषद/नगर निगमों के कार्यकारी अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जायेगा। जिले में मेडिकल रिलीफ कार्डों के लिए प्रत्येक पंचायत समिति/नगरपालिका क्षेत्र के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त करेंगे। प्रत्येक वार्ड पंचायत के लिए कार्ड को तैयार करने एवं वितरित करने के लिए ग्राम पंचायत के सचिव एवं नगरपालिका के कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है एवं उनके प्रशिक्षण का कार्य भी करवाया जाता है।

उत्तरदायी विभाग

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

3.मुख्यमंत्री सहायता कोष योजना (चिकित्सा हेतु सहायता)

पात्रता

राजस्थान राज्य के मूल निवासी जिनके परिवार की वार्षिक आय रूपये 24000 या इससे कम हो।

देय लाभ

पात्र गरीब रोगियों को गम्भीर बीमारियों के इलाज पर सहायता राशि की स्वीकृति।

देय सहायता

1. हृदय के एक वाल्व परिवर्तन कराने पर रूपये 30000 की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है।
2. हृदय के दो वाल्व परिवर्तन कराने अथवा बाईपास सर्जरी पर 50000 रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है।
3. किडनी परिवर्तन कराने पर 50000 रूपये स्वीकृत किये जाते हैं।
4. कैंसर एवं अन्य गम्भीर रोगों के इलाज हेतु चिकित्सक द्वारा दिये गये तखमीना की अधिकतम 40 प्रतिशत राशि (जो रूपये 50000 से अधिक नहीं) स्वीकृत की जाती है।

आवेदन प्रक्रिया

सादा कागज पर प्रार्थी या परिवार का कोई सदस्य, प्रार्थना–पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्बोधित कर प्रस्तुत करेगा। इसके साथ चिकित्साधिकारी द्वारा इलाज पर होने वाले व्यय का तखमीना एवं किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया गया आय का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। स्वीकृत राशि सम्बन्धित चिकित्सालय को भिजवाई जाती है।

3. प्राकृतिक आपदा एवं दुर्घटना में सहायता योजनाएं

1.राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

पात्रता

केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु पात्रता निर्धारित करने के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित मानदण्ड लागू होंगे :–

1. गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सन् 1997 की चयनित सूची में सम्मिलित परिवार के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु होने पर एकमुश्त परिवार लाभ।
2. मुख्य जीविकोपार्जनकर्ता उस परिवार का सदस्य पुरुष अथवा महिला होगी जिसकी आय का अंशदान कुल पारिवारिक आय का काफी भाग हो।
3. ऐसे मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु 18 से 64 वर्ष अर्थात 18 वर्ष की आयु से अधिक और 65 वर्ष की आयु से नीचे के आयु वर्ग में हुई हो।
4. शोकसंतप्त परिवार वो माना जायेगा जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे चयनित परिवारों में से एक होगा जो सन् 1997 की चयनित सूची में सम्मिलित हो।
5. परिवार लाभ मृतक परिवार के ऐसे जीवित सदस्य को दिये जायेंगे जिसे स्थानीय जांच के पश्चात् परिवार का मुखिया निर्धारित किया गया हो। योजना के प्रयोजन हेतु 'परिवार' शब्द से पति/पत्नी, बच्चे, अविवाहित पुत्रियां और आश्रित माता–पिता अभिप्रेत होंगे। अविवाहित वयस्क पुरुष/महिला के छोटे भाई–बहिन भी परिवार में सम्मिलित माने जायेंगे।

देय अनुदान

इस योजना के प्रारम्भ होने की तिथि के उपरान्त प्राकृतिक मृत्यु की दशा में 5 हजार रूपये तथा दुर्घटना से मृत्यु होने की दशा में शोकसंतप्त परिवार को 10 हजार रूपये की सहायता देय, परन्तु दिनांक 1 अगस्त, 1998 के पश्चात् हुई किसी भी प्रकार की मृत्यु की दशा में 10 हजार की सहायता देय।

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये लाभार्थी को निर्धारित प्रपत्र में ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/पंचायत समिति में तथा शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका/नगर परिषद्/निगम में आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उत्तरदायी विभाग

पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।

2. तोषण निधि योजना

पात्रता

किसी भी व्यक्ति जिसकी अज्ञात वाहन से हुई दुर्घटना में मृत्यु हुई हो या अज्ञात वाहन से दुर्घटना होकर संघातिक चोट लगी हो।

देय लाभ

व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रितों को 25 हजार रूपये और संघातिक चोट लगने पर 12 हजार 500 रूपये का बीमा लाभ देय है।

आवेदन प्रक्रिया

ओरियंटल बीमा कम्पनी कार्यालय/जिलाधीश कार्यालय अथवा तहसीलदार से क्लेम फार्म प्राप्त कर दुर्घटना की तिथि से 180 दिन के अन्दर जांच अधिकारी (तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी) के समक्ष प्रस्तुत करें।

उत्तरदायी विभाग

परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

3. असहाय सहायता

पात्रता

किसी भी व्यक्ति के बाढ़ में बह जाने, अतिवृष्टि से मकान ढह कर दब जाने, अग्नि में जल जाने, बिजली गिरने अथवा लू लगने से मृत्यु होने अथवा आंशिक/पूर्ण रुप से अपंग हो जाने की दशा में।

देय लाभ

व्यक्ति की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को 20 हजार रूपये तथा आंशिक/पूर्ण रुप से अपंग होने की स्थिति में अर्थात् एक या दो हाथ अथवा पैर

कट जाने अथवा दोनों आंखें गंवा देने की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को 10 हजार रूपये की सहायता देय है।

आवेदन प्रक्रिया

असहाय सहायता हेतु आपदा से पीड़ित परिवार अथवा व्यक्ति सहायता के लिये कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें। सहायता की स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा दी जायेगी।

उत्तरदायी विभाग

सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।

4. क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार हेतु सहायता

प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, अतिवृष्टि, चक्रवात, अग्नि आदि से मकानों के क्षतिग्रस्त होने पर मकानों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार के लिये आपदा राहत कोष से सहायता देय।

देय लाभ

दी जाने वाली सहायता भवन की स्थिति के अनुसार निम्नानुसार है-

(अ) पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकान

1. पक्के मकान 3500 रूपये प्रति परिवार।
2. कच्चे मकान 1500 रूपये प्रति परिवार।

(ब) आंशिक क्षतिग्रस्त मकान

1. पक्के मकान 1000 रूपये प्रति परिवार।
2. कच्चे मकान 500 रूपये या सम्पत्ति के नुकसान का 1/6वां हिस्सा अधिकतम 1000 रूपये तक।

आवेदन प्रक्रिया

उक्त सहायता हेतु आपदा से पीड़ित परिवार अथवा व्यक्ति सहायता के लिये जिला कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें। सहायता जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

उत्तरदायी विभाग

सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।

5. पशु हानि होने पर सहायता योजना

पात्रता

लघु एवं सीमान्त कृषक तथा खेतिहर मजदूरों को प्राकृतिक आपदा तथा बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं आग में जलने से पशुओं के मरने पर आर्थिक सहायता देय।

देय लाभ

लघु कृषकों के लिये नाबार्ड द्वारा निर्धारित इकाई लागत की एक–चौथाई तथा सीमान्त कृषक एवं खेतिहर मजदूरों के लिये इकाई लागत की एक–तिहाई राशि देय।

वर्तमान में नाबार्ड द्वारा निर्धारित इकाई लागत एवं देय सहायता की दरें निम्नानुसार हैं :–

पशु वितरण	इकाई लागत	देय सहायता	
		लघु कृषक	सीमान्त कृषक व कृषि श्रमिक
भैंस	10500	2625	3500
गाय	5995	1500	2000
भेड़–उन्नत नस्ल	900	225	300
देशी नस्ल	600	150	200
बकरी	1200	300	400
ऊंट	11000	2750	3666
बैल	4500	1125	1500
गधा	1000	250	233

आवेदन प्रक्रिया

उक्त सहायता हेतु पीड़ित परिवार सहायता के लिये जिला कलेक्टर अथवा उनके अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करें। सहायता की स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा दी जायेगी।

उत्तरदायी विभाग

सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।

6. अग्निकाण्ड में देय सहायता

पात्रता

अग्निकाण्ड से प्रभावित परिवार को अस्थाई आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधा आदि के लिये सहायता देय।

देय लाभ

यह सहायता 200 रूपये प्रति प्रभावित व्यक्ति की दर से देय तथा एक परिवार को अधिकतम 1000 रूपये की सहायता देय है।

आवेदन प्रक्रिया

उक्त सहायता हेतु आपदा से पीड़ित परिवार अथवा व्यक्ति सहायता के लिये जिला कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करें। सहायता जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

उत्तरदायी विभाग

सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।

7. कृषक साथी योजना

पात्रता

- कृषकों/खेतिहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य करते हुए, जिसमें खेती से सम्बन्धित सिंचाई कार्य भी शामिल हैं एवं कृषि यंत्रों का उपयोग करते हुए दुर्घटनाग्रस्त होने, मृत्यु होने या अंग–भंग होने पर।
- सिंचाई कार्य हेतु कुआं खोदते समय/ट्यूबवैल स्थापित करते समय मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
- कृषकों द्वारा फसलों, फल, सब्जियों पर रासायनिक दवाओं आदि के छिड़काव करते समय मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
- मुख्य मण्डी प्रांगण, उप मण्डी प्रांगण व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित क्रय केन्द्रों पर, कृषि यंत्रों के उपयोग करते समय दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
- मण्डी में बोरियों की धांग लगाते समय।
- मण्डी प्रागंण में ऊंट लढ्ढा, बैलगाड़ी, भैंसा–गाड़ी, गधा–गाड़ी उलट जाने

पर अथवा किसी प्रकार की दुर्घटना में अंगहीन अथवा मृत्यु होने पर।

- अपने अथवा किराये के साधन से मण्डी में कृषि उपज लाते समय रास्ते में हुई दुर्घटना में अंगहीन अथवा मृत्यु होने पर।
- कुट्टी काटने की मशीन अथवा अन्य कृषि संयंत्रों में कृषक/मजदूर महिलाओं के केश मशीन में आने से दुर्घटना (डीस्केल्पिंग)।
- कृषकों/खेतिहर मजदूरों के खेत पर काम करते हुए सांप या जहरीले जानवर के काटने पर मृत्यु होने या अंग–भंग होने पर।
- कृषि कार्य करते हुए आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर या अंग–भंग होने पर। उक्त पात्रता राजस्थान में होने वाली दुर्घटना के लिये लागू है।

देय लाभ

- मृत्यु होने पर आश्रित को 25000 रूपये।
- दो अंग, जैसे दोनों पांव, दोनों आंख, कोई एक–एक अंग अलग से (दो कटने पर) 12000 रूपये।
- महिला के सम्पूर्ण सिर के बालों की डीस्केल्पिंग होने पर 12000 रूपये।
- महिला के सिर के बालों की आंशिक डीस्केल्पिंग होने पर 6000 रूपये।
- एक अंग जैसे हाथ, पैर, आंख, पंजा, बांह कटने पर 6000 रूपये।
- चार अंगुलियां कट जाने पर (पूर्ण रुप से या हिस्से में) 6000 रूपये।
- तीन अंगुलियां कट जाने पर 4500 रूपये।
- दो अंगुलियां कट जाने पर 3000 रूपये।
- एक अंगुली कट जाने पर 1500 रूपये।

आवेदन प्रक्रिया

पीड़ित परिवार निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना–पत्र उपज मण्डी सचिव को दो माह की अवधि में प्रस्तुत करेगा। दुर्घटना की 6 माह की अवधि के पश्चात् योजना के अन्तर्गत भुगतान देय नहीं होगा।

उत्तरदायी विभाग

कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।

4. वरिष्ठ नागरिकों हेतु बचत योजना

बजट 2004–05 में घोषित वरिष्ठ नागरिको हेतु बचत योजना 2 अगस्त 2004 से लागू हुई। आरम्भ में यह योजना निर्धारित डाकघरों में उपलब्ध होगी। इस योजना के अनुसार :

- इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक निवेश कर सकते हैं। इसमें एकल अथवा संयुक्त (पति/पत्नी के साथ) खाता खोला जा सकता है।
- निर्धारित शर्तो के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वाले अथवा विशेष रूप से सेवानिवृत्त नागरिक जिनकी आयु 55 वर्ष या अधिक है, इस योजना में निवेश करने के पात्र हैं।
- अधिकतम 15 लाख रूपये जमा करवाए जा सकते हैं जो 1000 के गुणक में हों।
- जमा राशि पर देय ब्याज 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष है जो कर योग्य है।
- जमा राशि का परिपक्वता काल 5 वर्ष है। इसे अगले तीन वर्षो तक बढ़ाया जा सकता है।
- एक वर्ष बाद निर्धारित काल से पूर्व राशि का भुगतान हो सकता है, परन्तु कुल देय राशि में कुछ कटौती होगी।
- योजना के अन्तर्गत निवेश अव्यावसायिक एव अहस्तांतरणीय है, यद्यपि नामांकन सुविधा उपलब्ध है।
- अप्रवासी भारतीय तथा अविभक्त हिन्दू परिवार इस योजना के अन्तर्गत निवेश करने के पात्र नहीं है।

5. बीमा योजनाएँ

1. नव जीवन धारा

यह एक पेंशन योजना उन व्यक्तियों के लिये है जो स्वनियोजित, कलाकार, सिने–कलाकार, तकनीशियन, व्यापारी एवं व्यवसायी हैं और कुछ समय बाद जब वे आय अर्जित करने योग्य नहीं रहेंगे तब उन्हें कोई पेंशन प्राप्त नहीं होगी।

सीमाएँ

बीमे के समय आयु : 18 से 65 वर्ष।
न्यूनतम वार्षिकी प्रतिमाह–100 रूपये।

2. जीवन अक्षय

यह योजना आजीवन पेंशन तथा मृत्यु पर एक मुश्त भुगतान प्रदान करती है। जीवित रहने की स्थिति में कुछ शर्तों के आधार पर सात वर्ष के अन्त में बीमे के समय न्यूनतम आयु : 50 वर्ष।

न्यूनतम क्रय राशि

50,000 रूपये तथा इसके बाद 100 रूपये के गुणक में जीवन अक्षय पॉलिसियाँ MWP एक के अन्तर्गत जारी नहीं की जाएँगी। इस वार्षिकी का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है।

3. नव जीवन सुरक्षा

यह विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं अनुसार तीन प्रकार से उपलब्ध हैं:

(1) लाइफ कवर सहित पेंशन
(2) लाइफ कवर रहित पेंशन
(3) बंदोबस्ती बीमा के साथ पेंशन

- नव जीवन सुरक्षा के अन्तर्गत 10,000 प्रति वर्ष तक का योगदान कर मुक्त है।
- योजना के अन्तर्गत स्वीकृति के अनुसार 25 प्रतिशत रूपान्तरित राशि कर मुक्त है।

4. बीमा निवेश

यह अल्प अवधि एवं एकल प्रीमियम वाली योजना है जो सुरक्षा, तरलता एवं आकर्षक प्रतिफल एवं कर लाभ प्रदान करती है।

- बीमा के समय न्यूनतम आयु–18 वर्ष।
- बीमा के समय अधिकतम आयु 50 वर्ष (10 वर्ष के लिये) 70 वर्ष (5 वर्ष के लिये)।
- 5 वर्ष व 10 वर्ष की अवधि--योगदान कर मुक्त है।
- किसी प्रकार के स्वास्थ्य परीक्षण की आवश्यकता नहीं है।
- आई.सी.आई.सी.आई., प्रूडेंशियल, एवीवा, टाटा ए.आई.जी. आदि कम्पनियों द्वारा विभिन्न प्रकार के ऐसे उत्पाद प्रस्तावित हैं जो आगामी जीवन में पेंशन का प्रबन्ध करते हैं।

5. वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान

इस योजना के अन्तर्गत निवेश केवल एक बार किया जाता है और उसका मूल्य बीमित व्यक्ति की आयु के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इस योजना में बीमित व्यक्ति एवं उसकी पत्नी को 58 वर्ष की आयु के पश्चात् चयनित चिकित्सालयों में चिकित्सा सेवा का लाभ प्रदान करने का प्रावधान है। यह चिकित्सा बीमा ही एकमात्र ऐसा बीमा है जिसके अन्तर्गत मैसर्स न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (**NIAC**) एक निर्धारित सीमा तक अस्पताल से प्राप्त चिकित्सा बिलों का भुगतान करेगी।

- 18 से 54 वर्ष का कोई भी व्यक्ति इस योजना में सम्मिलित हो सकता है। वह प्रवासी अथवा अप्रवासी भारतीय हो सकता है।
- 58 वर्ष पूर्ण कर लेने पर बीमित व्यक्ति एवं उसकी पत्नी 2.5 लाख रूपये तक चिकित्सा बीमा राशि प्राप्त कर सकते हैं। 61 वर्ष की आयु के पश्चात् पूर्व में ली गई राशि को समायोजित कर के 5 लाख रूपये तक की चिकित्सा बीमा राशि प्राप्त की जा सकती है। व्यक्ति इस योजना के अन्तर्गत चयनित किसी भी अस्पताल में चिकित्सा प्राप्त कर सकता है।
- बीमित व्यक्ति की आयु के 54 वर्ष पूर्ण होते ही ट्रस्ट उससे सम्पर्क स्थापित

करके स्वयं की एवं पति/पत्नी की फोटो, हस्ताक्षर एवं पता प्राप्त कर लेता है और एक पहचान पत्र/लॉग बुक बनाई जाती है। (विस्तृत विवरण हेतु एजेंट या **UTI** शाखा में सम्पर्क करें।)

6. चिकित्सा बीमा योजना

यह योजना **"मेडिक्लेम"** भी कहलाती है।

आयु सीमा : 5 से 80 वर्ष।

बीमित राशि : 15,000 से 5,00,000 रूपये।

प्रीमियम – 175 रूपये से 12450 रूपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष (विभिन्न आयु वर्गों एवं बीमित राशि के विभिन्न स्लैबों के अनुसार)।

चिकित्सा पर व्यय की गई राशि पूर्ण रुप से वहन किये जाने का प्रावधान है। इसमें बीमित काल में किसी भी प्रकार के रोग, चोट अथवा आवासीय चिकित्सा पर हुआ व्यय सम्मिलित है।

7. समूह चिकित्सा बीमा योजना

यह योजना केन्द्रीय रुप से प्रशासित किसी भी समूह/संगठन/संस्थान/औद्योगिक निकाय के लिये है जिसमें 100 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हों। इसका मूल आधार "मेडिक्लेम योजना" ही है और सभी प्रावधान भी उसके समान ही हैं।

8. जन आरोग्य बीमा पॉलिसी

यह योजना उस गरीब वर्ग के लिये है जो महँगी चिकित्सा पर व्यय करने में असमर्थ है। बीमित राशि की सीमा 5000 रूपये प्रतिवर्ष है। बीमाकाल के दौरान किसी भी प्रकार के रोग, चोट अथवा आवासीय चिकित्सा पर हुए व्यय की राशि लौटाने का प्रावधान है। आयु सीमा 70 वर्ष है।

9. बीमा प्लस

प्रवेश के समय आयु सीमा : 12 वर्ष से 55 वर्ष।

न्यूनतम बीमा राशि : नियमित प्रीमियम योजना के अन्तर्गत रूपये 50000 तथा एकल प्रीमियम योजना के अन्तर्गत रूपये 20000।

अधिकतम बीमा राशि : रूपये 200000।

भुगतान के माध्यम : वार्षिक, अर्द्धवार्षिक, एकल प्रीमियम।

योजना की अवधि केवल 10 वर्ष की होगी। इसमें निवेशित राशि की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि आपने किस प्रकार का फंड चुना है। यहाँ आरम्भ में तीन प्रकार के फंड हो सकते हैं : सुरक्षित फंड, संतुलित फंड तथा जोखिम फंड। योजना के अन्तर्गत अदा किये गये प्रीमियम आयकर अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत कर राहत के पात्र होंगे।

10. नई जन रक्षा पॉलिसी

यह पॉलिसी कमजोर वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। यदि पॉलिसी–प्रीमियमों का भुगतान आर्थिक कठिनाइयों के कारण बन्द हो जाता है तब भी यह पॉलिसी बीमित व्यक्ति को तीन वर्ष तक सुरक्षा प्रदान करती रहती है।

प्रवेश के समय आयु सीमा : 18 से 40 वर्ष।

बीमित राशि : 5000 रूपये, 10000 रूपये एवं 50000 रूपये।

बीमा अवधि : 12 वर्ष, 15 वर्ष एवं 20 वर्ष।

6. अन्य योजनाएं

1. विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर अनुदान

आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार की विधवा महिला को अपनी दो पुत्रियों के विवाह पर अनुदान उपलब्ध करवाना।

पात्रता

- परिवार में कोई वयस्क कमाने वाला नहीं हो।
- विवाह योग्य पुत्री की आयु 18 वर्ष से कम नहीं हो।
- विधवा महिला की मासिक आय 1000 रूपये से अधिक न हो।
- विवाह योग्य पुत्री के माता–पिता की मृत्यु हो गई हो, पालन–पोषण करने वाली संरक्षिका उपरोक्त पात्रता रखती हो।

सुविधाएं

विवाह पर 5000 रूपये का अनुदान।

क्रियान्विति

क्षेत्रीय जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर क्षेत्रीय वार्ड पंच/पार्षद/जिला प्रमुख/प्रधान/महापौर अथवा विधायक द्वारा अभिसंशा पर कार्यालय में प्रस्तुत करना।

योजना का स्थान

सम्पूर्ण राजस्थान।

सम्पर्क अधिकारी

उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग।

उत्तरदायी विभाग

समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

2. मुफ्त कानूनी सहायता योजना

गरीब, कमजोर, असहाय, साधनहीन, अनु.जाति, अनु. जनजाति के व्यक्ति, स्त्री व अन्य निर्योग्य व्यक्तियों को कानूनी मुफ्त सहायता प्रदान कर उन्हें सक्षम बनाने एवं अपने अधिकारों के उपयोग के लिये योग्य बनाने के प्रयत्न इस योजना के तहत किये जाते हैं।

पात्रता

- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 व 13 के तहत योग्य व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रत्येक न्यायालय के स्तर पर दी जाती है।
- राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम 1995 के नियम 16 के तहत 25000/– रूपये तक वार्षिक आय वाले व्यक्ति को भी मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान की जाती है।

आवेदन प्रक्रिया

उच्च न्यायालय स्तर पर गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों द्वारा, जिला न्यायालय स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा, तालुका स्तर पर तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पात्र व्यक्तियों को कानूनी मुफ्त सहायता प्रदान की जाती है। मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित कार्यालयों में आवेदन पत्र मय आय शपथ–पत्र पेश करना होता है।

देय सहायता

प्रार्थी की पैरवी के लिये मुफ्त अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है जिसको निर्धारित मानदेय सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा अदा किया जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर व प्रत्येक जिला स्तर एवं अन्य तालुका स्तर पर कानूनी सेवा क्लिनिक के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता व सलाह प्रदान की जाती है। पुलिस व अन्य अभिरक्षा के बन्दी को न्यायालय में पेश करने पर उसकी ओर से वकील नहीं होने की स्थिति में लीगल एण्ड काउन्सिल स्कीम के तहत नियुक्त अधिवक्ता न्यायालय अथवा अधिकारी के आवास पर ऐसे व्यक्ति की पैरवी हेतु प्रदान की जाती है जो उस कस्टडी वाले व्यक्ति के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए पैरवी करता है। कुछ जिला कारागृहों एवं उप कारागृहों में

न्यायिक अभिरक्षा में बंदी कैदियों के लिए पैरवी करने के लिये जेलों में मुफ्त कानूनी योजना के तहत लीगल एण्ड सैल्स स्थापित किये गये एवं शीर्ष के लिये कारागृहों में भी ऐसे सैल्स स्थापित किये जा रहे हैं, जो बंदियों के अधिकारों की रक्षा के लिये पैरवी करते हैं। न्यायिक अधिकारियों द्वारा उनके क्षेत्र के दूरदराज के गरीब गाँवों में विधिक साक्षरता शिविर लगाकर मुफ्त कानूनी योजना की जानकारी दी जाती है।

3. अन्नपूर्णा योजना

यह योजना उन व्यक्तियों के लिये है जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन अथवा राज्य वृद्धावस्था पेंशन दोनों में से कोई भी नहीं मिल रही है।

सुविधाएँ

निःशुल्क 10 किलो गेहूँ प्रति माह प्रति वृद्ध व्यक्ति।

सम्पर्क अधिकारी

जिला कलेक्टर।

उत्तरादायी विभाग

खाद्य एवं रसद विभाग।

4. अन्त्योदय अन्न योजना

गरीबी रेखा के नीचे के कुछ लोग गरीब ही नहीं बल्कि भूखे भी हैं क्योंकि उनकी क्रय शक्ति इतनी कम है कि वे पूरी साल के लिए अन्न नहीं खरीद पाते। देश में अन्न के पर्याप्त भण्डार को देखते हुए भारत सरकार द्वारा यह महसूस किया गया कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि कोई भूखा रहे, इसी उद्देश्य से अन्त्योदय अन्न योजना प्रारम्भ की गई है।

पात्रता

गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों में से अत्यधिक गरीब चयनित परिवार इस योजना के पात्र हैं।

सुविधायें

चयनित परिवारों को 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से 2 रूपये किलो गेहूँ अथवा 3 रूपये किलो चावल दिये जायेंगे।

सम्पर्क अधिकारी

जिला कलेक्टर, शहरी क्षेत्र में जिला रसद अधिकारी। अन्य शहरों में नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी, आयुक्त तथा ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी।

उत्तरदायी विभाग

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग।

5. अत्यन्त निर्धन परिस्थितियों वाले अग्रगण्य संस्कृत पंडितों को आर्थिक सहायता

भारत सरकार की संस्कृत पंडितों को आर्थिक सहायता की केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत ऐसे विद्वान संस्कृत पंडितों को जो 55 वर्ष से अधिक आयु के हैं और जिनका जीविकोपार्जन का साधन संस्कृत ही रहा हो तथा वर्तमान में जिनकी जीविका का कोई साधन नहीं है ऐसे चयनित संस्कृत पंडितों को प्रति वर्ष अधिकतम 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

पात्रता

संस्कृत के विद्वान पंडित जिनकी आयु 55 वर्ष से अधिक है तथा जिनकी जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है।

आवेदन प्रक्रिया

संस्कृत पंडितों द्वारा सीधे ही भारत सरकार को या राज्य सरकार के माध यम से इस सहायता हेतु आवेदन–पत्र, निर्धारित प्रारुप में निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग को प्रेषित किए जा सकते हैं।

उत्तरदायी विभाग

संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।

7. आवास योजनाएं

1. राजस्थान वृद्ध और निःशक्त व्यक्तियों के लिए देखभाल केन्द्र व्यवस्था एवं संचालन योजना

पात्रता

अनुदान के लिए ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं को मान्यता दी जा सकेगी जो–

- इस कार्य क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष से कार्यरत हों।
- राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत हों।
- जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो।
- जो बिना किसी जाति, धर्म या भाषा के भेदभाव के सबको समान सेवाएं प्रदान करती हों।
- जिनके पास सेवाश्रम/देखभाल केन्द्र की व्यवस्था के लिए पर्याप्त भवन, कर्मचारी तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।
- उपरोक्त शर्तें पूर्ण करने वाली संस्था को निदेशक, समाज कल्याण विभाग की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी जाती है।

प्रवेश की पात्रता

60 वर्ष या अधिक आयु के पुरुष तथा 55 वर्ष या अधिक की महिला।

अनुदान

स्वयंसेवी संस्था को स्वीकृत बजट के आवर्ती व्यय का 90 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया जाता है। शेष 10 प्रतिशत व्यय संस्था वहन करती है। अनावर्तक व्यय के लिए केवल प्रथम वर्ष में अलग से राशि स्वीकृत की जा सकती है।

स्वीकृति अधिकारी

निदेशक, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान।

प्रार्थना–पत्र

निर्धारित प्रपत्र, सभी प्रमाण पत्र एवं सूचनाओं सहित निदेशक, समाज कल्याण को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका

यह योजना स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए ही है।

सम्पर्क अधिकारी

निदेशक, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

उत्तरदायी विभाग

समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

2. वृद्ध और निःशक्त व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रम व्यवस्था एवं संचालन योजना

निराश्रित वृद्ध/विधवा, विधुर, परित्यक्त पुरुष एवं महिला जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं हो, को सम्मानित जीवन जीने में सहायता करना।

पात्रता

- साठ वर्ष या अधिक आयु के पुरुष तथा 55 वर्ष या अधिक आयु की महिला।
- राजकीय महिला संस्थाओं से स्थानान्तरित 45 वर्ष या अधिक आयु की निराश्रित, परित्यक्ता, विधवा अथवा अविवाहित महिला।

सुविधायें

निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, मनोरंजन आदि का सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

अन्य प्रशिक्षण मार्गदर्शिकाएं

खड़ीन
वर्षा जल का खेती के लिए संग्रहण की खड़ीन पद्धती की विवर्णिका

टाँका एवं नाड़ी
परम्परागत वर्षा जल संग्रहण टाँका एवं नाड़ी की तकनीकों का संक्षिप्त विवरण

उठ जाग मजदूर
असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के अधिकारों, स्वास्थ्य एवं संगठन पर बने नाटकों का संग्रह

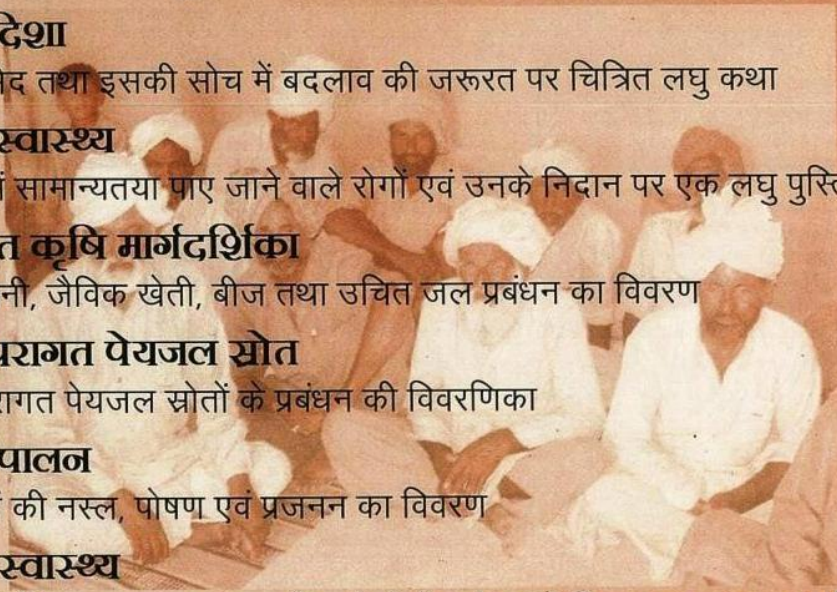

नई दिशा
लिंग भेद तथा इसकी सोच में बदलाव की जरूरत पर चित्रित लघु कथा

वृद्ध स्वास्थ्य
वृद्धों में सामान्यतया पाए जाने वाले रोगों एवं उनके निदान पर एक लघु पुस्तिका

उन्नत कृषि मार्गदर्शिका
बागवानी, जैविक खेती, बीज तथा उचित जल प्रबंधन का विवरण

परम्परागत पेयजल स्रोत
परम्परागत पेयजल स्रोतों के प्रबंधन की विवरणिका

पशु पालन
पशुओं की नस्ल, पोषण एवं प्रजनन का विवरण

पशु स्वास्थ्य
पशुओं में सामान्यतया पाए जाने वाले रोगों एवं उनके निदान पर एक लघु पुस्तिका

प्रकाशक
ग्राविस
ग्रामीण विकास विज्ञान समिति
3/458, मिल्कमैन कॉलोनी, पाल रोड, जोधपुर–342008 (राज.)
फोन: 0291–2785317, फैक्स: 0291–2785549
वेबसाईट: www.gravis.org.in, ई–मेल: gravis@datainfosys.net